न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 36 / 17

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री नरेन्द्र कुमार डोलवानी पुत्र श्री स्व. श्री किशनलाल (एफबीओ / मालिक) फर्म मैसर्स शिव गौरी ऐजेन्सी, 664, 12वीं 12वीं सी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर।
2. श्री भरत पी पारिख (नॉमिनी) वाडीलाल ऐंटरप्राइसेस लिमिटेड़, 8वीं मंजिल, टाईम स्क्वैयर, इस्कॉन आरकेड़ के सामने, परीसीमा कॉम्पेलेक्स के पास, सी.जी. रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 38009।
3. निमार्ता फर्म वाडीलाल ऐंटरप्राइसेस लिमिटेड़, 8वीं मंजिल, टाईम स्क्वैयर, इस्कॉन आरकेड़ के सामने, परीसीमा कॉम्पेलेक्स के पास, सी.जी. रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 38009।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स शिवगौरी ऐजेन्सी, 664 12वी सी रोड़, सरदारपुरा जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान आईसक्रीम फुड़ बनानास वाडिलाल 700 एम एल (360 ग्राम) 30 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त आईसक्रीम फुड बनानास वाडिलाल 700 एम एल (360 ग्राम) के 4 बोक्स 2+2=1 स्कीम के तहत वास्ते नमूना संख्या एडी–388 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 344 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा आईसक्रीम फुड बनानास वाडिलाल 700 एम एल (360 ग्राम) के चारों बोक्स स्टील की भगोनी में तोड़कर चम्मच से एक रूम पर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की चौडी मुह वाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर 45 बुंद फॉर्मेलिन बतौर प्रजरवेटिव डालकर एयर टाईट बंदकर उन चारों शिशियों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–388 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–388 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–388 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आईसक्रीम फुड बनानास वाडिलाल 700 एम एल (360 ग्राम) की नमूना चारों नमूना शिशियों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–388 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 628 / एक्ट / 2016 / 666 दिनांक 17.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय

आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1319 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसमें निवेदन किया गया की आईसक्रीम फुड़ बनानास वाडिलाल 700 एम एल (360 ग्राम) किसी प्रकार मिसब्रण्ड की श्रेणी में नही आता हैं परंतु आज दिनांक को हुई बहस में अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया की आईसक्रीम उक्त निर्मित बैच में कमी रहने के कारण मिसब्राण्ड रह गया था।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण का उक्त प्रोडक्ट मिसब्राण्ड था तथा पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकते थे। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण पर रूपये 25000 प्रत्येक अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 10/7/17 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10/7/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

कमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 1553-1557 दि. 10-7-17

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विजय कान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री नरेन्द्र कुमार डोलवानी पुत्र श्री स्व. श्री किशनलाल (एफबीओ / मालिक) फर्म मैसर्स शिव गौरी ऐजेन्सी, 664, 12वीं सी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर।
04. श्री भरत पी पारिख (नॉमिनी) वाडीलाल ऐंटरप्राइसेस लिमिटेड, 8वीं मंजिल, टाईम स्क्वैयर, इस्कॉन आरकेड़ के सामने, परीसीमा कॉम्पेलेक्स के पास, सी.जी. रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 38009।
05. निर्माता फर्म वाडीलाल ऐंटरप्राइसेस लिमिटेड, 8वीं मंजिल, टाईम स्क्वैयर, इस्कॉन आरकेड़ के सामने, परीसीमा कॉम्पेलेक्स के पास, सी.जी. रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 38009।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर